पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस–विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में कुल 04 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक–27.06.2024

दिनांक 26/27.06.2024 को थाना अलीगंज 01, जानकीपुरम 01, सआदतगंज 01, सुशान्तगोल्फ सिटी 01 अभियुक्त गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 04 अभियुक्त गिरफ्तार।

भा0द0वि0

थाना सरोजनीनगर–दिनांक 27.06.2024 को थाना सरोजनीनगर द्वारा बताया गया कि श्री रंजीत कुमार पुत्र श्री अनिरूद्ध लाल कर्ण निवासी–आजादनगर चिल्लावां नियर बन्धुआ तालाब, कानपुर रोड लखनऊ ने थाना सरोजनीनगर पर सूचना दिया कि उसकी बहन सरिता देवी पत्नी मनोज कर्ण के मकान में किरायेदार छन्नुलाल पुत्र रामकुमार मूलनिवासी–हिम्मतनगर थाना सिधौली जनपद सीतापुर जो कि अपनी पत्नी रेशमा के साथ रहते थे कि पत्नी रेशमा उम्र करीब 32 वर्ष ने दिनांक 26/27.06.2024 की देर रात्रि सयम करीब 02.00 बजे कमरे का दरवाजा अन्दर से बन्द करके कमरे में लगे पंखे के कुंडे मे लगे बिजली के तार से साड़ी का फंदा बनाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया है। **इस सूचना पर एस0आई0 श्री शिव राज सिंह मो0नं0 7007540064 थाना सरोजनीनगर द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

थाना गोमतीनगर–दिनांक 27.06.2024 को थाना गोमतीनगर द्वारा बताया गया कि वादी श्री प्रशान्त गुप्ता पुत्र शिवकान्त गुप्ता निवासी–ई–2/192 विनयखण्ड थाना गोमतीनगर लखनऊ ने थाना गोमतीनगर मूलनिवासी–ग्राम नुनैरा थाना खीरी, जनपद रायबरेली ने थाना गोमतीनगर पर सूचना दिया कि वर्तमान मे वादी के पिताजी श्री शिवकान्त गुप्ता, ग्राम प्रधान हैं। वादी के पिताजी ने गांव की भूमि पर सोलर पम्प लगवाने के लिए कृषि विभाग में पंजीकरण करवाया था। विभाग द्वारा बताया गया था कि आवेदन स्वीकृत होने के बाद आपको सूचित किया जायेगा। इस दौरान एक अज्ञात व्यक्ति ने मो0नं0 8279439702 से वादी के पिताजी के मोबाइल नं0 पर दिनांक 19.06.2024 को समय करीब 12.45 बजे काल किया और अपना नाम नरेश कुमार बताते हुए बताया कि आपका सोलर पम्प आवेदन स्वीकृत हो गया है। अब आप मेरे बताये हुए खाते में 02,84,164/–रूपये जमा करवा दीजिये। जिसका उक्त व्यक्ति ने एक खाता नं0 भेजा और आरटीजीएस करने को कहा। वादी के पिताजी ने उक्त डिटेल व उक्त व्यक्ति का मोबाइल नं0 वादी को भेज दिया। इसके बाद वादी ने उक्त व्यक्ति से मोबाइल पर बात किया तो उसने वादी को विश्वास मे लेकर कहा कि आप पेमेन्ट जमा कर दो शीघ्र ही दो सोलर पम्प आपके यहां लग जायेगा। वादी ने उक्त व्यक्ति की बातों पर विश्वास करके उसके द्वारा दिये गये खाते में 02,84,164/–रूपये चेक के माध्यम से भेज दिया। इसके उपरान्त भी उक्त व्यक्ति द्वारा बार बार फोन कर रहा था और कहा कि सरकार द्वारा आपके खाते मे सब्सिडी आनी थी वह पहले नहीं आयेगी उसके लिए पहले आपको 1,66,456/–रूपये और जमा करने होंगें। उसकी इस बात से वादी को शक हुआ तो वादी ने कृषि भवन विभूतिखण्ड लखनऊ में जाकर पता किया तो उनके द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा विभाग से इस तरह की कोई भी काल किसी को भी नहीं की जाती है। आपके साथ धोखाधड़ी हुयी है। तब वादी को ज्ञात हुआ कि उक्त अज्ञात द्वारा धोखाधड़ी करते हुये छलकपट से वादी से उक्त धनराशि हडप ली है। **इस सूचना पर थाना गोमतीनगर पर मु0अ0सं0 282/2024 धारा 420 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

थाना मदेयगंज–दिनांक 27.06.2024 को थाना मदेयगंज द्वारा बताया गया कि वादी जीशान खान पुत्र मो0 जाकिर खान निवासी–538ख/987 आजादनगर, खदरा निकट सरवर स्कूल, थाना मदेयगंज लखनऊ ने थाना मदेयगंज पर सूचना दिया कि दिनांक 26.06.2024 को वादी के बड़े भाई मो0 जाहिद खान पुत्र जाकिर खान समय करीब 08.00 बजे रात्रि को डालीगंज क्रासिंग से अपने घर की ओर साइकिल से जा रहे थे कि रास्ते में बसंल स्टोर डालीगंज क्रासिंग के पास एक बेकाबू ट्रैक्टर नं0 यूपी 32 एनपी 5891 के चालक द्वारा वाहन को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाकर वादी के भाई के उपरोक्त की मोटरसाइकिल में टक्कर मारते हुए जाहिद के शरीर पर चढ़ा दिया। उसके बाद वादी को स्थानीय लोगों ने सूचना दिया तो वादी तुरन्त मौके पर पहुंचकर अपने भाई को घायल अवस्था में इलाज के लिए ट्रामा सेंटर ले गया जहां पर डाक्टरों नें वादी के भाई जाहिद उपरोक्त उम्र करीब 45 वर्ष को मृत घोषित कर दिया। **इस सूचना पर थाना मदेयगंज पर मु0अ0सं0 94/2024 धारा 279/304ए भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**